प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 26.07.2023

- ❖ **जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण की दिशा में चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे 'जागते रहो अभियान' के तहत कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी सफलता।**
- ❖ **थाना अकबरपुर व थाना सिकन्दरा पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही से विभिन्न जनपदों व जनपद कानपुर देहात के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 02 नफर शातिर अभियुक्तगण को घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड़ के साथ किया गया गिरफ्तार।**
- ❖ **अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी किये गये माल 02 पीतल के घण्टे व 69,700/- रुपये बरामद हुए। जिनमें से 01 अभियुक्त पर डेढ़ दर्जन व 01 अभियुक्त पर आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में चोरी की घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान **'जागते रहो अभियान'** के क्रम में, थाना अकबरपुर व थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर दिनांक 25/26.07.2024 की रात्रि में मजनूशाह बाबा की मजार के पास सुबह करीब 03.00 बजे अभियुक्तगण 1. राहुल कंजड़ पुत्र अतर सिंह निवासी कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 01 बड़ा पीतल का घन्टा व घटना में प्रयुक्त करने वाली लोहे की रॉड और 30700 रुपये नगद व 2. अभियुक्त धर्मवीर कंजड़ पुत्र किशन निवासी आजादनगर कस्बा व थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के कब्ज से 01 पीतल घण्टा और 29000 रुपये नगद के साथ गिरफ्तार किया गया। जिनके विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई अभियोग पंजीकृत हैं जिनमें उक्त अभियुक्तगण वांछित चल रहे थे। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद माल व रुपये के बारे में पूछा गया तो दोनों अभियुक्तों ने बताया कि यह पैसे चोरी और चोरी के बेचे गये माल के हैं और ये घण्टे भी चोरी के हैं। घण्टों को बेचने का प्रयास किया परंतु बिके नहीं। आज फिर कहीं चोरी/घटना करके इनको और मिलने वाले माल को लेकर बाहर निकल जाते और बेच देते लेकिन आपने पकड़ लिया। अभियुक्तगण राहुल व धर्मवीर दोनों ने बताया कि जो पैसे हमारे पास से आपको मिले हैं वो चोरी व चोरी के बेचे गये माल के हैं जिनमें से खर्च करने के बाद हम लोगों के पास बचे हैं। चोरी के सम्बन्ध में बताया कि अगस्त 2023 में कृष्णा पब्लिक स्कूल संजयनगर माती अकबरपुर में एक बूड़े व्यक्ति की जेब काटी थी और जून 2023 में मैंने और धर्मवीर ने अकबरपुर तहसील के सामने एक व्यक्ति की जेब काटी थी। आघू रोड कस्बा अकबरपुर में अप्रैल के महीने में मैंने और धर्मवीर दोनों ने मिलकर साड़ी-कपड़े की दुकान से कुछ कपड़े और 12 हजार रू0 चुराये थे। मैंने और धर्मवीर ने जनवरी 2024 में साई सिटी फेस-1 में घर से वायरिंग चोरी की थी जिसको बेच दिया तथा सिकन्दरा थाने के औडैनी गाँव के मन्दिर से घण्टे और पीतल का नाग चोरी किया था, ये घण्टा उसी चोरी का है। धर्मिक सामान होने के कारण किसी ने खरीदा नही और मई 2023 मे सिकन्दरा सिल्हौला

बुजुर्ग गाँव से एक घर से जेवर व पैसे चुराये थे। चोरी किये गये पैसे व सामान को बेचने के बाद जो पैसे मिलते थे हम लोगों आपस में बाँट लेते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. राहुल कंजड़ पुत्र अतर सिंह निवासी कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
2. धर्मवीर कंजड़ पुत्र श्री किशन निवासी आजादनगर सिकन्दरा थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

बरामद माल का विवरण - बरामदशुदा माल 02 पीतल के घण्टे, 69,700 रुपये व घटना में प्रयुक्त करने वाली 01 अदद लोहे की रॉड़।

आपराधिक इतिहास राहुल कंजड़ उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 360/2022 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 381/2023 धारा 380/411/457 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 419/2023 धारा 380/411/457 भा0द0वि0 थाना रुरा जनपद कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0 75/2023 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
5. मु0अ0सं0 120/2023 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
6. मु0अ0सं0 93/14 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
7. मु0अ0सं0 688/18 धारा 379/411/420 भा0द0वि0 थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर।
8. मु0अ0सं0156/20 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर।
9. मु0अ0सं0 63/2021 धारा 363/376/506 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना शिवराजपुर जनपद कानपुर नगर।
10. मु0अ0सं0 245/22 धारा 401 भा0द0वि0 थाना सांड जनपद कानपुर नगर।
11. मु0अ0सं0 246/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सांड जनपद कानपुर नगर।
12. मु0अ0सं0 261/22 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना सफीपुर जनपद उन्नाव।
13. मु0अ0सं0 419/23 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।
14. मु0अ0सं0 93/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।
15. मु0अ0सं0 322/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
16. मु0अ0सं0 229/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
17. मु0अ0सं0 92/2024 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
18. मु0अ0सं0 159/24 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
19. मु0अ0सं0 120/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

आपराधिक इतिहास धर्मवीर कंजड़ उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 322/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 229/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 92/2024 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0 159/24 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
5. मु0अ0सं0 120/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

6. मु0अ0सं0 75/2023 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -</u>

1. उ0नि0 श्री करवेन्द्र कुमार थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
2. उ0नि0 श्री गजेन्द्रपाल सिंह चौकी प्रभारी रसधान थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
3. हे0का0 215 विजेन्द्र सिंह थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
4. हे0का0 330 सुशील कुमार थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
5. का0 258 रविन्द्र सिंह थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
6. का0 85 रामनरेश थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
7. का0 735 नीरज सिंह थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।